"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2012—वैशाख 28, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री ओम प्रकाश चौधरी, भाप्रसे (2005), कलेक्टर, दंतेवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, सुकमा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-01-2012 के द्वारा श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. (1977) को अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल पदस्थ किया गया था. साथ ही उन्हें अध्यक्ष, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं महानिदेशक, प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10-4-2012 के द्वारा श्री सिंह की अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर की गई पदस्थापना निरस्त की गई. उक्त आदेश दिनांक 31-01-2012 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, रायपुर के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है और अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अतिरिक्त प्रभार बाबत आदेश भी निरस्त किया जाता है.

2. श्री सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् महानिदेशक, प्रशासन अकादमी के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-04-2012 के द्वारा श्री ओम प्रकाश चौधरी, भाप्रसे (2005), कलेक्टर, दंतेवाड़ा को कलेक्टर, सुकमा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. एतद्द्वारा श्री चौधरी को कलेक्टर, सुकमा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री एलेक्स व्ही.एफ.पॉल मेनन व्ही., भाप्रसे (2006), कलेक्टर, सुकमा के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त यथावत् बने रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्रमांक 1298/360/2010/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/33/2006-एआईएस (I), दिनांक 13-04-2007 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1954 के नियम-6(1) के अंतर्गत श्री पी. रमेष कुमार, भा.प्र.से. (WB:1986) की सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन को अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष के लिये सौंपी गई थी.

2. श्री पी. रमेष कुमार के अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात् दिनांक 26-04-2012 से 23-06-2012 तक (59 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24 जून, 2012 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

3. उक्त अवकाश अवधि समाप्ति पर श्री पी. रमेष कुमार अपने पैतृक संवर्ग (पश्चिम बंगाल) में उपस्थिति देंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2012

क्रमांक-एफ 3-39/2012/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नवीन राजस्व जिला सूरजपुर के क्षेत्राधिकार में संचालित थाना उदयपुर एवं चौकी केदमा को तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा के क्षेत्राधिकार में किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2012

क्रमांक एफ 10-1/2011/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 नियम 1984 के अंतर्गत दिनांक 01-01-2011 से प्रति छ:माही अर्थात् जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर के लिये निम्नानुसार अभिदाय वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

श्रमिक अभिदाय राशि रुपये	नियोजक अभिदाय राशि रुपये	न्यूनतम अभिदाय रुपये
रुपये 15/-	रुपये 45/-	रुपये 1500/-

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग में यू.ओ. क्रमांक 133/00002791/ब-1/चार दिनांक 02-03-2012 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वस्तिक, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 1-9/30/सं./2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा जारी आदेश दिनांक 28-03-2012 में अंकित "डॉ. सुशील चंद्र त्रिवेदी", साहित्यकार, रायपुर के स्थान पर "डॉ. सुशील त्रिवेदी", साहित्यकार, रायपुर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 19 अप्रैल 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मुरली	11.60	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर.	जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजपाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्रमांक/3917/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	सागर प. ह. नं. 57	0.145	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के बायीं नट बीजेपार लघु नहर नेर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्रमांक/4079/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	हरदी प. ह. नं. 41	333.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	राजनांदगांव अंतागढ़ मार्ग के कि.मी. 5/8-10 पर शिवनाथ नदी (मोहाराघाट) पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/475/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	किकिरमेटा प.ह.नं. 50	0.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी, जिला धमतरी.	सिलौटी एनीकट योजना के तहत प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 5 मई 2012

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक 105/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 27/अ-82 वर्ष 2010-11.—छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 18 नवम्बर 2011 के पृष्ठ क्रमांक 2031 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) के धारा 6 के अंतर्गत जिला रायपुर, तहसील आरंग, ग्राम बरोदा में नई राजधानी योजनान्तर्गत एयरपोर्ट के निर्माण एवं विकास हेतु अधिसूचना प्रकाशित हुआ है उक्त अधिसूचना में खसरा नंबर 285 रकबा 0.01 हे. एवं खसरा नंबर 770 रकबा 0.40 हे. का प्रकाशन त्रुटिवश हो गया है, उक्त के स्थान पर खसरा नंबर 285/1 रकबा 0.01 हे. एवं खसरा नंबर 770 रकबा 0.44 हे. पढ़ा जाए, इसी प्रकार कुल क्षेत्रफल रकबा 92.93 हे. के स्थान पर 92.97 हे. पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./09/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-माना, प.ह.नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.734 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
273/3	0.016
273/8	0.138
279/2	0.041
280	0.259
281/1	0.543
281/3	0.093
281/2	0.202
282	0.081
283	0.020
284/1	0.405
284/2	0.251
285	0.247
286	0.125
287/1	0.283
287/2	0.283
287/3	0.053
287/4	0.053
288/1	0.061
288/2	0.020
288/3	0.101
288/4	0.117
288/5	0.037
288/6	0.008
288/8	0.008
288/7	0.028
289	0.008
290	0.061
291/1	0.202
291/2	0.243
292/1	0.114
292/2	0.113
293/1	0.045
297/2	0.065
293/2	0.336

(1)	(2)
294/1	0.210
296	0.041
294/2	0.121
295	0.016
297/3	0.336
297/4	0.101
949/1	0.174
949/2	0.051
949/3	0.163
949/4	0.054
949/5	0.053
950	0.057
951/1	0.061
951/2, 952/1	0.057
951/3, 952/2	0.057
953	0.077
954	0.101
955/2	0.125
956/2	0.008
957/2	0.101
958/2	0.089
967/2	0.008
968	0.008
969/2	0.279
970	0.069
971	0.069
972	0.150
973	0.101
974	0.101
975/2	0.008
975/3	0.012
975/4	0.008
975/5	0.008
975/6	0.008
976	0.089
977/2	0.061
989/2	0.110
989/3	0.109
990/2	0.033
995/2	0.028
997/2	0.004
998/2	0.020
1001/14	0.008
1001/11	0.006
1001/12	0.024
1001/13	0.010
1004/2	0.020
1004/5	0.020
1004/3	0.041
1004/4	0.040
1005	0.028
1006/2	0.182
1006/4	0.048
1006/3	0.239
1007/1	0.081
1007/2	0.683
1008/2	0.097
1008/3	0.121
1008/4	0.110
1008/5	0.142
1009/2	0.024
1010/2	0.008
1010/3	0.301
1011/2	0.081
1024/3	0.657
1024/4	2.237
1024/9	0.291
1105/4	0.121
1105/5	0.020
1105/8	0.202
1105/9	0.137
1106/2	0.081
1106/3	0.020
1112/2	0.067
1112/3	0.139
1114/2	0.134
1117	3.318
योग 105	17.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-माना एयरपोर्ट के विस्तार हेतु (Run Way Lights & Clearances)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्रमांक/4077/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम दतरेंगाटोला, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.802 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	202/1	0.004
	201/1	0.073
	201/2	0.081
	200	0.065
	147	0.101
	199	0.049
	198	0.065
	192	0.008
	191/1	0.012
	191/2	0.016
	191/3	0.073
	189	0.008
	190	0.081
	143	0.045
	148	0.036
	149	0.016
	162	0.069
योग	17	0.802

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्रमांक/4078/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-मानपुर
- (ग) नगर/ग्राम-औंधी, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.873 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	103/1	2.873
योग	1	2.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औंधी थाना परिसर विस्तार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.